






**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....  
 31/20/25 आदी करी .....  
 पुनमचर ..... बनाम .....  
 किस्म मुकदमा ..... नं. 144/26.6.18 सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
26/18	<p>आज कर 125/122 रिपोर्ट होकर पेन हुड इन्ट शरीफर हो करी एवं प्रतिकर वाक 125 39/122 शरीफर पेन किम को कर एस्टेट सल्लेफ 125/122 कमा गमा करी पुनमचर की लारथ करती कर</p> <p>● करी करी की एस्टेट मुनी कर 125/122 का कचपयन किम उफ करी वाक मुनाविन एलनका उकी किम एलनके एफ कोषका की एलन है एकी उकी कोषा करी 3 AM 125/122 को मुक 5. 667 इकर नहरा पुनी मम (वाला एस्टेट मे प्रतिकर) एउ कर नरक करलजन कर करी एवं प्रतिकर करल 125 प्रतिकर का 44-44 दिक्के के एलनकर सल्लेफर के प्रतिकर करल 455 ने मपक इक करी कर उक है मः इक करल करल करल जके हिसे ए मीमनुसर एलन इमुरी ए पंजीयन मुनक एमर करे करे करी मुनी करे करे एलन हो करे एलन कर</p>	<p>पुनमचर              प्रमि रमि 18          शरीफर            प्रमि रमि 18            प्रमि रमि 18            प्रमि रमि 18          प. मती          Sunarjenu</p>


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख  
फर्द अहकाम की  
हुक्म की तारीख  
जारी हुआ

हे पश्चात् 5 वीं भवुकर 2145 रिफाई  
हुक्म 34 जोडा फर्द (53) करी  
हे फर्द उपर फरु कपन- (1457)  
वदन हेर विनिक लुचय, फरु 1  
पुनः 9/11 इकर दाखिल हे

  
सदस्य  
लोक अदालत  
भादरा

  
अध्यक्ष  
लोक अदालत भादरा  
प- \_\_\_\_\_

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 144/18

अनवान :

1. पूनमचन्द पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

—वादीगण

बंनाम


1. रामसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. रणधीर सिंह } पिसरान रामसिंह जाति जाट निवासी झांसल
3. रोहताष } तहसील भादरा।
4. कृष्णादेवी पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. कमला देवी पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा हाल निवासी पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी कालोद गुडा तहसील सिवानी हरियणा।
6. एसबीआई बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत खातेदारी घोषणा हेतु अन्तर्गत धारा 88  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकीलवादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 AMS के खाता सं० 125/122 मु०न० 57 किला न० 17 ता 24, मु०न० 60 किला न० 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17, 18, 19/2, 22/2, 23, 24, कुल 5.667 है० नहरी मय रास्ता खाला में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलजन कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा के खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकार्ड की जावे। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने वाद भूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़